

6

Register Entry No. 3056
Dated... 14.11.2013

यदि अभिमानी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:— **नहीं**

- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध संचित है जिसमें दो चर्च या अधिक के कारबास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुर्जिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण च्यारे	✓
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	✓
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोग्यों) को विरचना की गई	✓
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	✓
(च)	वा सभी या कोई कार्रवाही किसी सक्षम-अधिकारिया वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	✓

- (ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध संचित है/हैं जिसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में चौंके मामलों से इन:— **नहीं**,

(क)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	✓
(ख)	उन मामलों के चौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के चौरे	✓

- (6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आमे वाले किसी अपराध (अपराधों) से इन, जो सिवा मिठादेव ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक चर्च या अधिक के लिए कारबास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:



अग्रत छाया
14 NOV 2013